

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010

जयपुर दिनांक

27 JUL 2012

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.02.2012 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों की अवधि निरंतर जारी रखते हुये दिनांक 31.8.2012 तक बढ़ायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(अ) राज्य स्तर पर सृजित पद :-

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद
1	अतिरिक्त आयुक्त	प्रतिनियुक्ति	2
2	मुख्य लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति	1
3	अधीक्षण अभियंता	प्रतिनियुक्ति	1
4	उप वन संरक्षक	प्रतिनियुक्ति	1
5	अधिशापी अभियंता	प्रतिनियुक्ति	3
6	सहायक अभियंता	प्रतिनियुक्ति	2
7	सहायक लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति	3
8	कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिनियुक्ति	3
9	सलाहकार आईईसी	संविदा / प्रतिनियुक्ति	1
10	सलाहकार आयोजना	प्रतिनियुक्ति	1
11	सलाहकार प्रशिक्षण	संविदा	1
12	सलाहकार जन अभियोग निराकरण	संविदा	1
13	सलाहकार जन अभियोग निराकरण	संविदा (सेवा निवृत्त कार्मिक)	6
14	प्रोग्रामर	संविदा	1
15	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	10
16	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा (सेवा प्रदायी संस्था के माध्यम से)	10
17	सहायक	संविदा	10
18	सहायक	संविदा (सेवा प्रदायी संस्था के माध्यम से)	4
19	उपविधि परामर्शी	संविदा (सेवा निवृत्त कार्मिक)	1
20	मुख्य विधि सहायक	संविदा (सेवा निवृत्त कार्मिक)	1
21	स्टेनो ग्रेड- II	संविदा (सेवा निवृत्त कार्मिक)	4
22	सलाहकार स्थापना	संविदा, (सेवा निवृत्त कार्मिक)	2
23	स्थापना सहायक	संविदा, (सेवा निवृत्त कार्मिक)	2

(Handwritten signature)

(ब) जिला स्तर पर सृजित पद (33 जिलों के लिये) :-

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद (प्रति जिला)	कुल स्वीकृत पद
1	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिनियुक्ति	1	33
2	अधिकांश अभियंता	प्रतिनियुक्ति	1	33
3	अधिकांश अभियंता	प्रतिनियुक्ति	जिला अलवर, भीलवाडा, चित्तोडगढ़, जयपुर, पाली, जोधपुर, नागौर, एवं उदयपुर में एक अतिरिक्त अधिकांश अभियंता का पद	8
4	सहायक अभियंता	प्रतिनियुक्ति	2	66
5	सहायक लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति / संविदा	2	66
6	कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिनियुक्ति	2	66
7	एमआईएस मैनेजर	संविदा	1	33
8	प्रशिक्षण समन्वयक	संविदा	1	33
9	पर्यवेक्षण समन्वयक	संविदा	1	33
10	आईईसी समन्वयक	संविदा	1	33
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	5	165
12	कनिष्ठ लिपिक	संविदा (सेवा निवृत्त कार्मिक)	प्रत्येक जिले में 1 पद	33

(स) पंचायत समिति स्तर पर सृजित पद :-

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद (प्रति पंचायत समिति)	कुल स्वीकृत पद
1	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	संविदा	1	249
2	सहायक अभियंता	प्रतिनियुक्ति	2	498
3	ब्लॉक एमआईएस मैनेजर	संविदा	1	249
4	लेखा सहायक (पंचायत समिति के कार्य हेतु)	संविदा	1	249
5	लेखा सहायक (ग्राम पंचायत के कार्य हेतु)	संविदा	1 पद प्रति 10 ग्राम पंचायत	917
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	संविदा	1	249
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	4	996
8	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	संविदा	प्रति 5 ग्रा.पं. पर 1 पद तथा मरुस्थलीय एवं ज.जा. उपयोजना क्षेत्र प्रति 3 ग्रा.पं. पर 1 पद	2061
9	सहायक कर्मचारी / सिक्यूरिटी गार्ड	संविदा	1	249


4

(द) ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित पद :-

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद
1	ग्राम रोजगार सहायक	संविदा	1	9168
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	संविदा (सेवा एजेन्सी के माध्यम से)	1	9168

उक्त पदों की समय अवधि निरन्तर जारी रखते हुए अब दिनांक 28.02.2013 या बजट घोषणा के अनुसार भर्ती होने, जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती है। इन पदों की अवधि वित्त विभाग की अर्न्तविभागीय टीप सं० 101202662 दिनांक 17.07.2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में बढ़ाई जाती है।


उक्त पदों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय की राशि से पूरित होगा। योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी पदों पर होने वाले व्यय की सीमा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 21(23)ग्रावि/नरेगा/2010 दिनांक 30.6.2010 एवं प्रशासनिक मद के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगी। यह सुनिश्चित करे कि प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक नहीं हो।


(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
8. उप शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग -1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
10. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय, ईजीएस एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस